कार्यालय प्राचार्य शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला–बालोद (छ0ग0) website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com अर्जुन्दा, दिनांक 11 द 23 8 म0/ स्था. / 2023

// आदेश //

छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के उप नियम 38 (क) के अनुसार शासकीय सेवक की जिसकी दो से कम जीवित संतान है बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म के 06 माह की अवधि के भीतर 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है श्री प्रदीप कुमार प्रजापति, सहायक प्राध्यापक हिन्दी के उक्त नियम के तहत दिनांक 16.06.2023 से 30.06.2023 कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

पृ. क्र. 871 / स्था. / 2023

1. संबंधित अधिकारी श्री प्रदीप कुमार प्रजापति, सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला–बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ।

SHAHID DUI

- 2. स्था./लेखा शाखा।
- संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नस्ती।

erayicaly (जी. पी. पाठक) प्र. प्राचार्य CIPAT DBOVT.COLDEGE ARUNDA SHAHID DURWA

अर्जुन्दा, दिनांक 1119198


····ipika,

...... TYTEE & CEI

EGEARINDA




शहीद **दुर्वास। निवाद शासकीय महा**विद्यालय अर्जुंच्स जिला - बालोद (छ.ग.)



ILECE ARAM SHAHD DUP शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला– बालोद (छ.ग.)







पितृत्व अवसाश (Paternity Leave) हेतु आवेदन प्रपत्र आवेदक का नाम - अनि त 3भार नागवेश तागू अवकाश का निषम सिमिल सिना 2010 पद नाम ्राथपहा कपनी/विद्यालय/कार्यालय का नाम- गाहीद दुवीसा तिषाद रग. मह कार्यु कर जिली - बालो ह वेतनकम तथा मूल वेतन - 57 700/anna 1990 - 04/06/2024 7 18/06/2024 अवकाश की प्रकृति - पुराम बच्चे हे हिए अवकाश मारी जाने का कारण - मन्ट्रे की देख-देख पिछली गार किस दिनॉक से किस दिनॉक तक अववाश लिया गम अवकाश अवधि में पता - आम - ना देखे पी मारी त मजिली माहती-मान दु बच्च्ाों की संख्या तथा उनकी आयु (परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) में कि उपसे आवेदन में क्रमॉक 1 से 11 तक की गयी प्रविष्टियों सत्य है यदि कोई असत्यता पायी जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। Glasin 04/06/2024 A GION BUE AMAR SHULL AN JUST A. AUG WE Zon Et Fried Can (2019) AN WAY 2



्रीयांचार्य शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय म**हाविद्यालय अर्जुन्दा** जिला – बालोद (छ.म.) SHAHID DURWASA NISHAD GOVT-COLLEGE ARLUNDA

P. R. FORM 1

(See S. R. S. below PE 74)

अर्जित अवकाश के लिए प्रार्थना – पत्र FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

Note - Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether Gazetted or non Gazetted. 12 may be filled in only whether it is applicable to the Govt. servant concerned.

20

- 1. प्रार्थी का नाम
 - Name of applicant
- छूट्टी के नियम जो लागू होते हों Leave Rules applicable
- 3. पद Post held
- विभाग एवं कार्यालय Departmental office and section
- 5. वेतन Pay
- मकान किराया, भत्ता, सवारी भत्ता या वर्तमान वेतन के अनुसार और कोई भत्ता मिलता हो House rent allowance, conveyence allowance or other compensatory allowances drawn in the present post
- जिस तारीख से छूटी मांगी गई उसका स्वरूप एवं पूर्ण समय Nature and period of leave applied for and date from which required.
- रविवार और अन्य छुट्टियां जो जोडी या न जोड़ी जाती हो Sunday and Holidays if any proposed to be prifixed / suffixed to leave
- 9. छुट्टी लेने के कारण Ground on which leave is applied for
- 10. पिछली ली हुई छुट्टी का स्वरूप एवं उस छुट्टी से लौटने की अवधि Date of return from last leave and the nature and period of that leave
- 11. छुट्टी मंजूर होने की दशा में छुट्टी के समय में आवेदक का पता Leave address, if granted

रुप दिश्य विभाग दाहीद निषाढ गा महा अर्चन्दा जिला कालीह (56704

कुमार नागवशी

24/04/2023 2 20/05/202

रतम की शादा

ग्राम-नार्डेडल पी.मारी तन्या भोटला जिला-मीटला-मानप्र-अ. यॉडी (इ.ग)



- I propose do not propose at avail my self of leave travel concession for the block year during the ensuing leave
- 12. (a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay iesmmut, leave and that admissible during leave on half average pay half pay leave, which would not have been admissible had the provise to F. R. 88 (b) (ii) M. B. E. R. 79 (c) Rule 11 (e) of the revised Leave Rules 14 (c) of Madhya Pradesh Revised Leave Rules 1934 Rule 93 (c) of the Rajasthan Service Rules not been applied in the event of my retirement from service at the and or during currency of the leave.
 - (b) I undertake to refunde the leave salary salary drawn during "leave not due" which would not have been adminassion had F. R. 81 (c) Rule II (d) of the Revised Leave Rules 1933 / Rules 15 of the Madhya Pradesh Revised Leave Rules. 1934 / Rule79 A of M. B. F. Rule 93 (d) of the Rajsthan Service Rules not been applied in the event of my voluntary retirement from service at the end or during the currency of the leave.

शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला - बालोद (छ.म.)

daghe 20/04/2

Signature of Applicant (with date)

कार्यालय प्राचार्य शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला-बालोद (छ०ग०) website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com अर्जुन्दा, दिनांक <u>०५-१०</u> २०२५

/ / आदेश / /

प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत है।

पृ. क्र. 484. / स्था. /

अर्जुन्दा, दिनांक 4.10.2624

EDEARJUND

- 1. संबंधित अभिकारी / कर्मचारी **भीरती प्रत्या अस्त्रि प्रचाठ तम्तीर्र**, शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला–बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- 2. स्था./लेखा शाखा।
- 3. संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नस्ती।

al



THAHIDO EARJUNDA

গ**চীৰ বুৰ্বান্য। নি**ৰা**ৰ গামকীয় নচা**ঘিত্যালয় জত্ जिला - बालोद (छ.म.)


ika शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा कार्यालय प्राचार्य जिला–बालोद (छ0ग0) website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com Kumai अर्जुन्दा, दिनांक // आदेश // छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के उप नियम 38 (क) के अनुसार शासकीय सेवक की जिसकी दो से कम जीवित संतान है बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म के 06 माह की अवधि के भीतर 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है अभी राज्य हो हो या लाग है अवधि के उक्त नियम के तहत दिनांक 11/5/23 से 25/5/23 कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश स्वीकृत TUSEU mil / telle (जी. पी. पाठक) प्र. प्राचार्य RENG. PRINCIPA SHAHDDHRWASA MISHAD GOVT COLLEGE AR JUNDA 100 (ट.०.) जुन्दा (छ.ग.) पृ. क. 8.5./स्था./202 अर्जुन्दा, दिनांक 9/5/2023 निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ। 2. स्था. / लेखा शाखा, शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ। -3. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती। milliale



(जी. पी. पाठक) प्र. प्राचार्य श**तीC. एस।५६⁻मिन्द्रा** SHAHD**TURNUSA Nहल्पी GOVI COLLEGE ARJADA** SHAHD**TURNUSA Nहल्पी GOVI COLLEGE ARJADA SHAHDTURNUSA Nहल्पी GOVI COLLEGE SHAHDTURNUSA**

प्राचार्य

श**हाद दुर्वासा निषाद शासकीय महायि**द्यालय अर्जुन्दा जिला - बालोद (छ.ग.)



शहीद निषाद SHAHIDENHARA Alaufrai GENET बाताह GEARJUNDA

- ATALS-NUM



श**हीद चुर्वासा निषाद शासकीय** महापिद्यालय अर्जुन्म जिला - बालोद (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य

शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा जिला–बालोद (छ0ग0)

inil Nagwanshi

Mr. Frauve Tandan

website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com रचा. / 2023

// आदेश //

छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के उप नियम 38 (क) के अनुसार शासकीय सेवक की जिसकी दो से कम जीवित संतान है बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म के 06 माह की अवधि के भीतर 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है श्री किशोर कुमार टण्डन, सहायक प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र के उक्त नियम के तहत दिनांक 02.01.2023 से 16.01.2022 कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(जी. पी. पाठक)

अर्जुन्दा, दिनांक

ILC. FRINCIPAL SHAHD DURWAS AND HERE LEVE LEVE ARJUNDA जिला– बालोद (छ.ग.) अर्जुन्दा, दिनांक 23/01/2023

पृ. क्र. 566 / स्था. / 2022

- 1. संबंधित अधिकारी श्री किशोर कुमार टण्डन, सहायक प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र, शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- 2. स्था./लेखा शाखा।
- 3. संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नस्ती।

पी. पाठक

प्र. प्राचार्य शाहीद मुझुकीमिमिमिन 11.02 मिमिनिमिनिमिनिम्सामाध्य प्राप्ति हो सिन्द्र 19.02 मिनिनिमिनिम्सामाध्य समाग्र हो सिन्द्र ARJUNDA GREAT BALODICG.



श**हीद दुर्वासा निवाद शासकीय महाविद्या**लय अर्जुन्टा निन्ता - तालोल (फ ग)